सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2015/00094

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर0ए0एस0
विविध प्रकरण सं0 04/2015

1. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री लालचन्द जाति कुम्हार निवासी 33 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. मनोज कुमार पुत्र श्री लालचन्द जाति कुम्हार निवासी 33 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. भागवन्ती पुत्री श्री लालचन्द पत्नी श्री श्योपतराम जाति कुम्हार निवासी चक वीरमाना ढाणी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. सुन्दरदेवी पुत्री श्री लालचन्द पत्नी श्री भोजराज जाति कुम्हार निवासी चक वीरमाना ढाणी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. हनुमान पुत्र श्री तुलछाराम जाति कुम्हार निवासी हरखेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. बद्रीराम पुत्र श्री तुलछाराम जाति कुम्हार निवासी हरखेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. बृजलाल पुत्र श्री तुलछाराम जाति कुम्हार निवासी हरखेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. लिछमा पुत्री श्री तुलछाराम पत्नी बद्रीराम जाति कुम्हार निवासी प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. सावित्री पुत्री श्री तुलछाराम पत्नी अमरचन्द जाति कुम्हार निवासी जाति कुम्हार निवासी प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. गुडडी उर्फ श्योकोरी पुत्री श्री तुलछाराम पत्नी श्री लिखमीचन्द जाति कुम्हार निवासी चक गौरीसर तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर (राज0)
7. शान्ति पुत्री तुलछाराम पत्नी श्री ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी धोलीपाल तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
8. तहसीलदार भू0अ0 पदमपुर जिलाा श्रीगंगानगर।
9. उप तहसीलदार बींझबायला तहसील पदमपुर जिलाा श्रीगंगानगर।
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित :

1. श्री सुखदेव सिंह एवं रामलाल नारंग, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री प्रेमप्रकाश मक्कड़, अधिवक्ता अप्रार्थी

आदेश **दिनांक :–25.11.2020**

प्रस्तुत प्रार्थना का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि चक 44 एल.एन.पी. उप तहसील बींझबायला तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 के खाता संख्या 20/2017 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 14 ता 25 व मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 13 से 25 में कुल 6.197 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थीगण के नाना तुलछा वल्द भगवाना कौम कुम्हार निवासी हरखेवाला तहसील पदमपुर के नाम से दर्ज कागजात थी जिनके स्वर्गवास होने के बाद अप्रार्थीगण ने, प्रार्थीगण की माताजी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विमलादेवी के वारिस होने के बावजूद भी उनका वारिसनामा में नाम छुपाते हुए कुटरचित वारिसानामा के आधार पर विरास्तन इन्तकाल संख्या 276 दिनांक 21.12.2010 दर्ज करवा लिया तथा प्रार्थीगण की नानी उमादेवी को उक्त इन्तकाल संख्या 342 दिनांक 05.02.2013 दर्ज करवा लिया जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण ने न्यायालय में अपील संख्या 48/2014 पेश की गई तथा अप्रार्थीगण को तलब किया गया। उक्त प्रकरण में गत तारीख पेशी 22.09.2015 नियत थी परन्तु प्रार्थीगण के अधिवक्ता महोदय द्वारा 07.10.2015 तारीख पेशी अंकित कर ली गई जिसके कारण श्रीमान जी न्यायालय द्वारा रूक–रूक कर बार–बार आवजे लगाने पर प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के अधिवक्ता के हाजिर आने में अस्मर्थ रहने पर प्रार्थीगण अपीलार्थीगण की अपील अदम पैरवी, अदम हाजरी में खाजिर की गई है। प्रार्थीगण/ अप्रार्थीगण श्रीमान न्यायालय द्वारा मुकर्र पेशी दिनांक 22.09.2015 को तारीख पेशी का मुगालता हो जाने की वजह से हाजिर अदालत नहीं हो सके। प्रार्थीगण/ अपीलार्थीगण की अदम हाजरी एवं अदम पैरवी जानबूझकर नहीं बल्कि मजबूरीवंश हुई है जिस कारण प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये है। प्रार्थीगण /अपीलार्थीगण नेकनीयत है। दिनांक 07.10.2015 को एकपक्षीय कार्यवाही का ज्ञान होने पर अवलिम्ब नकल ली जाकर उक्त प्रार्थनाा पत्र पेश किया जा रहा है। इस हालात में अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण के विरूद्व अमल में लाई गई एकतरफा कार्यवाही को निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण का सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायहित में जरूरी है। प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को यदि सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तो प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा तथा मुकदमा बाजी बढ़ेगी। अपील अभी प्रारम्भिक स्टेज पर है तथा प्रार्थीगण/ अपीलार्थीगण ने उपस्थित होने में जानबूझकर कोताही नहीं की है, इसलिए कार्यवाही एकतरफा को न्यायहित में मनसुख करना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता बाबत अपील ब अनवानी महेन्द्र कुमार व अन्य बनाम हनुमान व अन्य अपील संख्या 48/2014 में दिनांक 22.09.2015 को अदम पैरवी, अदम हाजरी में खारिज की गई अपील को पुनः ग्रहण कर सुनवाई का अवसर प्रदान करने की कृपा करें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी को बार–बार आवाजे लगाई गई उपस्थित नहीं हुआ ।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में मुख्य आधार लिया है कि प्रार्थीगण ने न्यायालय में अपील संख्या 48/2014 पेश की गई तथा अप्रार्थीगण को तलब किया गया। उक्त प्रकरण में गत तारीख पेशी 22.09.2015 नियत थी परन्तु प्रार्थीगण के अधिवक्ता महोदय द्वारा 07.10.2015 तारीख पेशी अंकित कर ली गई। प्रार्थीगण/ अप्रार्थीगण श्रीमान न्यायालय द्वारा मुकर्र पेशी दिनांक 22.09.2015 को तारीख पेशी का मुगालता हो जाने की वजह से हाजिर अदालत नहीं हो सके। जबकि अधिवक्ता प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के बाद आज दिनांक तक उपस्थित नहीं हुए और आज दिनांक को भी वह हाजिर नहीं है। पत्रावली में जो उपस्थित लगाई गई है वह एक रूटिन प्रकिया के तहत अधिवक्ता उभयपक्ष लिखा गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता खारिज फरमाया जावें।

अति.जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थीगण की अपील पूर्व में अदम हाजिर/अदम पैरवी में दिनांक 22.09.2015 को खारिज की गई थी। पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं जिससे यह प्रतीत होता हो कि अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का पेश करने के बाद उपस्थित आये हो एवं आज दिनांक को भी वे उपस्थित नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण द्वारा अपील न्यायालय का समय खराब करने के उदेश्य से पेश की गई है। फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता सारहीन होने से खारिज खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 25.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. गुंजन सोनी)
अति० जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर।